न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 373/2023
अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. साधुराम पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. मंगलसिंह पुत्र भादरराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. मनफूल पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 226/222 के ख0न0 111 की 11.9250 हैक्ट भूमि सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का भाई है। मनफुल पुत्र सुखराम का स्वर्गवास हो चुका है। सुखराम के पांच पुत्रगण हुए भादरराम, साधूराम, हरिसिंह, मदनलाल व मनफूल हुए जिनमें से एक लड़का भादरराम फौत हो चुका है। वाद भूमि में से वादी अकेले के नाम 1048/3975 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेले के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 व 4 प्रत्येक के 271/3975 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 5 जो की अपने भाई व भतीजो से अत्यधिक स्नेह व मोह रखता है तथा उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का पारिवारिका राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि मे वादी अकेला 3.74025 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब 2.22225 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे परन्तु वे आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण सुखराम व भादरराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का भाई है। मनफुल पुत्र सुखराम का स्वर्गवास हो चुका है। सुखराम के पांच पुत्रगण हुए भादरराम, साधूराम, हरिसिंह, मदनलाल व मनफूल हुए जिनमें से एक लड़का भादरराम फौत हो चुका है। वाद भूमि में से वादी अकेले के नाम 1048/3975 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेले के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 व 4 प्रत्येक के 271/3975 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 5 जो की अपने भाई व भतीजो से अत्यधिक स्नेह व मोह रखता है तथा उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का पारिवारिका राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि मे वादी अकेला 3.74025 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब 2.22225 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है।प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:02 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 226/222 व ख0न0 111 की 11.9250 हैक्ट भूमि में से वादी अकेले के नाम 1048/3975 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 2 अकेले के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 व 4 प्रत्येक के 271/3975 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्र सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का भाई है। मनफुल पुत्र सुखराम का स्वर्गवास हो चुका है। सुखराम के पांच पुत्रगण हुए भादरराम, साधूराम, हरिसिंह, मदनलाल व मनफूल हुए जिनमें से एक लड़का भादरराम फौत हो चुका है। वाद भूमि में से वादी अकेले के नाम 1048/3975 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेले के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 व 4 प्रत्येक के 271/3975 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेले के 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 5 जो की अपने भाई व भतीजो से अत्यधिक स्नेह व मोह रखता है तथा उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान का पारिवारिका राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 5 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि मे वादी अकेला 3.74025 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 2.98125 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 ता 4 बहिब 2.22225 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार मृतक सुखराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 226/222 के ख0न0 111 की 11.9250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 3.74025 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 2.98125 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 को 2.98125 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिब 2.22225 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जावे तरफ तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 373/2023

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. साधुराम पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. हरिसिंह पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र भादरराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. मंगलसिंह पुत्र भादरराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. मनफूल पुत्र सुखराम जाति जांगिड़ निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 373 सन 2023 निर्णय दिनांक – 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जाशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 226/222 के ख0न0 111 की 11.9250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 3.74025 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 2.98125 हैक्ट भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 को 2.98125 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिब 2.22225 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.19 16:51:02 IST
Reason: SelfAttested